श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 52)

[3 दिसम्बर, 1980]

केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए और निगमन और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशिलियटीज, त्रिवेन्द्रम का राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित किया जाना—केरल राज्य के श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम के उद्देश्य ऐसे हैं जो उस संस्था को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अतः इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

3. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से शासी-निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से धारा 16 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "शासी-निकाय" से संस्थान का शासी-निकाय अभिप्रेत है ;

(ङ) "संस्थान" से इस अधिनियम के अधीन निगमित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नामक संस्था अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य" से संस्थान का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "सभापति" से संस्थान का सभापति अभिप्रेत है ;

(ज) "विनियम" से संस्थान द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(झ) "नियम" से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है ।

4. संस्थान का निगमन—इसके द्वारा श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम को श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नाम का एक निगमित निकाय गठित किया जाता है और ऐसे निगमित निकाय के रूप में उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी जिसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति अर्जन, धारण और व्ययन करने का और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

5. संस्थान की संरचना—संस्थान में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) केरल विश्वविद्यालय का कुलपति, पदेन ;

(ख) भारत सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक, पदेन ;

(ग) निदेशक, पदेन ;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले चार सदस्य होंगे जो, यथास्थिति, उस सरकार या उसके विभाग के क्रमशः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ङ) केरल राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले दो सदस्य होंगे जो, यथास्थिति, उस सरकार या उसके विभाग के क्रमशः योजना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(च) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विज्ञानी होंगे जिनमें से दो चिकित्सा विज्ञानी होंगे और एक सामाजिक विज्ञानी होगा ;

(छ) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले तीन विज्ञानी जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ज) संस्थान के जीव-आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी खण्ड का प्रधान, पदेन ;

(झ) नियमों द्वारा विहित रीति से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकाओं के तीन प्रतिनिधि ; और

(ञ) संसद् के तीन सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किए जाएंगे ।

6. सदस्यों की पदावधि और उनके बीच होने वाली रिक्तियां—(1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, सदस्य की पदावधि उसके नामनिर्देशन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी ।

(2) धारा 5 के खण्ड (ञ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि, जैसे ही वह उस सदन का, जहां से वह निर्वाचित किया गया था, सदस्य नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाएगी ।

(3) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण किए रहता है जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है ।

(4) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की अवशिष्ट अवधि के लिए होगी जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित या निर्वाचित हुआ था ।

(5) धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन निर्वाचित सदस्य से भिन्न पदावरोही सदस्य, जब तक केन्द्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे, पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

(6) पदावरोही सदस्य पुनः नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन का पात्र होगा ।

(7) कोई सदस्य केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे अपना पद त्याग सकेगा किन्तु वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती ।

(8) सदस्यों के मध्य रिक्तियां भरने की रीति वह होगी जो नियमों द्वारा विहित की जाए ।

7. संस्थान का सभापति—(1) संस्थान का एक सभापति होगा जो संस्थान के निदेशक से भिन्न उसके सदस्यों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(2) सभापति उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम में अधिकथित किए जाएं या नियमों या विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

8. सभापति और सदस्यों के भत्ते—सभापति और अन्य सदस्यों को, संस्थान से ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, मिलेंगे जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

9. संस्थान के अधिवेशन—संस्थान अपना पहला अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार नियत करे और पहले अधिवेशन में कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो उस सरकार द्वारा अधिकथित किए जाएं और उसके पश्चात् संस्थान ऐसे समय और स्थान पर अपना अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशन में कार्य-संचालन के संबंध में प्रक्रिया के उन नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

10. संस्थान का शासी-निकाय और अन्य समितियां—(1) संस्थान का एक शासी-निकाय होगा जिसका गठन संस्थान द्वारा ऐसी रीति से किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए :

परन्तु ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो संस्थान के सदस्य नहीं हैं, शासी-निकाय की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(2) शासी-निकाय संस्थान की कार्यकारिणी समिति होगा और वह उन शक्तियों का प्रयोग और उन कृत्यों का निर्वहन करेगा जिन्हें संस्थान इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित करे ।

(3) संस्थान का सभापति शासी-निकाय का अध्यक्ष होगा और वह उसके अध्यक्ष के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) शासी-निकाय द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि और उनके मध्य रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) ऐसे नियंत्रण और निर्बन्धनों के अधीन रखते हुए, जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, संस्थान उतनी स्थायी समितियां और उतनी तदर्थ समितियां गठित कर सकेगा जितनी वह संस्थान की किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे मामले में, जो संस्थान उन्हें निर्दिष्ट करे, जांच करने अथवा रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे।

(6) शासी-निकाय से उसके संबंध में अध्यक्ष और सदस्यों को तथा किसी स्थायी समिति या तदर्थ समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को, ऐसे भत्ते, यदि कोई हों, मिलेंगे जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

11. संस्थान के कर्मचारिवृन्द—(1) संस्थान का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा जो संस्थान के निदेशक के रूप में अभिहित किया जाएगा और ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित बनाए जाएं, संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु संस्थान का प्रथम निदेशक, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, संस्थान और शासी-निकाय के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं या जो उसे संस्थान द्वारा या संस्थान के सभापति द्वारा या शासी-निकाय या शासी-निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम और ग्रेड अवधारित कर सकेगा।

(5) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाएं, संस्थान के निदेशक तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य मामलों में सेवा की ऐसी शर्तों से शासित होंगे जो इस निमित्त बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

12. संस्थान के उद्देश्य—संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) जीव-आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करना ;

(ख) उच्च चिकित्सीय विशेषज्ञताओं के क्षेत्र में रोगी की देखभाल के उच्च स्तर के प्रदर्शन का उपबन्ध करना ; और

(ग) उच्च चिकित्सीय विशेषज्ञताओं और जीव-आयुर्विज्ञान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में उच्चतम क्वालिटी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना।

13. संस्थान के कृत्य—संस्थान धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को प्रोन्नत करने की दृष्टि से निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगा :—

(क) आधुनिक आयुर्विज्ञान और अन्य सम्बद्ध विज्ञानों में जिनके अन्तर्गत भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान भी हैं, स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना ;

(ख) विज्ञान की ऐसी विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(ग) स्नातकोत्तर चिकित्सीय और प्रौद्योगिक शिक्षा की समेकित पद्धतियों में संतोषप्रद स्तर प्राप्त करने के लिए उसमें प्रयोग करना ;

(घ) स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ङ) जीव-आयुर्विज्ञान संबंधी विज्ञानों और प्रौद्योगिकी में अध्यापन और प्रशिक्षण का उपबन्ध करना ;

(च) उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित की स्थापना करना और उन्हें बनाए रखना—

(i) एक या अधिक सुसज्जित अस्पताल ; और

(ii) जीव-आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए एक या अधिक केन्द्र ;

(छ) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और जीव-आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी में परीक्षाएं संचालित करना और ऐसी उपाधियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदावधियां देना जो विनियमों में अधिकथित की जाएं ;

(ज) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यपक पद और किसी अन्य पद को विनियमों के अनुसार संस्थित करना और उन पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(झ) सरकारों से अनुदान प्राप्त करना और यथास्थिति, संदाताओं, उपकारियों, वसीयतकर्ताओं या अन्तरकों द्वारा, दान, संदान, उपकृतियों, वसीयतों और जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति के अन्तरण को प्राप्त करना ;

(ञ) संस्थान की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति के संबंध में ऐसी किसी रीति से कार्यवाही करना जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझी जाए ;

(ट) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ; और

(ठ) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हों ।

14. संपत्ति का निहित होना—इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व सभी सम्पत्तियां जो श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इस स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम में निहित हो गई थीं, ऐसे प्रारम्भ से ही संस्थान में निहित होंगी ।

15. संस्थान को संदाय—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशि ऐसी रीति से देगी जिसे वह सरकार इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे ।

16. संस्थान की निधि—(1) संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) वह सभी धन जो केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार द्वारा दिया गया हो ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अन्तरणों के रूप में प्राप्त सभी धन ; और

(घ) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान को प्राप्त सभी धन ।

(2) निधि में जमा किए गए सभी धन ऐसे बैंकों में जमा या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जिसे संस्थान, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे ।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों की, जिनके अंतर्गत धारा 13 के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में किए गए व्यय भी हैं, पूर्ति के लिए किया जएगा ।

17. संस्थान का बजट—संस्थान प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत एक बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए और जिसमें संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दिखाए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार को उसकी उतनी प्रतियां भेजेगा जितनी नियमों द्वारा विहित की जाएं ।

18. लेखा और संपरीक्षा—(1) संस्थान उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा विहित करे और ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी करे ।

(2) संस्थान के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के और संस्थान के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेजें और कागज पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के कार्यालयों और उसके द्वारा स्थापित और बनाई गई संस्थाओं के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित संस्थान के लेखे, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

19. वार्षिक रिपोर्ट—संस्थान प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो नियमों द्वारा विहित की जाए केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और इस रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी ।

20. पेन्शन और भविष्य निधि—(1) संस्थान अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं ऐसी पेंशन नियत करेगा और भविष्य निधि स्थापित करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी कोई पेंशन नियत की गई है या भविष्य निधि स्थापित की गई हो, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध उस निधि को वैसे ही लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

21. संस्थान के आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण—संस्थान के सभी आदेश और विनिश्चय सभापति के या इस निमित्त संस्थान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किए जाएंगे और अन्य सभी लिखतें निदेशक के या संस्थान द्वारा उसी रीति से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रामाणीकृत की जाएंगी ।

22. कार्यों और कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना—संस्थान, शासी-निकाय या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि संस्थान, शासी-निकाय या ऐसी किसी स्थायी या तदर्थ समिति में, कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि रह गई थी ।

23. संस्थान द्वारा आयुर्विज्ञान उपाधियां, डिप्लोमे आदि का प्रदान किया जाना—उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को इस अधिनियम के अधीन शक्ति होगी कि वह आयुर्विज्ञान उपाधियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां और पदवियां प्रदान कर सके ।

24. संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संस्थान द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान उपाधियां और डिप्लोमे उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं होंगी और उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित समझी जाएंगी ।

25. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण—संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए जाएं ।

26. संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच विवाद—यदि संस्थान द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन करने में या उसके संबंध में संस्थान और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

27. विवरणियां और जानकारी—संस्थान, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी देगा जिसकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे ।

28. विद्यमान कर्मचारियों की सेवा का अन्तरण—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व श्री चित्रा तिरुनल मेडिकल सेन्टर सोसाइटी फार एडवान्स्ड स्टडीज इन स्पेशियलिटीज, त्रिवेन्द्रम में नियोजित था, ऐसे प्रारम्भ से ही संस्थान का कर्मचारी हो जाएगा और उसमें अपना पद या सेवा उसी अवधि के लिए, उन्हीं पारिश्रमिकों और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य बातों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों को धारण करेगा जैसा कि वह यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया जाता तो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख पर धारण करता और तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त न कर दिया जाए या जब तक ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तों को विनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित न कर दिया जाए :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा की अवधि, पारिश्रमिक तथा निबंधन और शर्तें केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके अलाभकार रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी ।

29. संस्थान में सुविधाओं का चालू रखा जाना—संस्थान, केरल राज्य की सरकार और जनता को और केन्द्रीय सरकार को सुविधाएं देता रहेगा और ऐसी सुविधाएं किसी भी बात के बारे में ऐसी सरकारों और जनता के पक्ष में उससे कम नहीं होंगी जितनी उन्हें इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उनकी दी जाती थीं, और वे ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर (जिनमें ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए किए जाने वाले अंशदान से संबंधित निबन्धन और शर्तें भी हैं) जो संस्थान, केरल राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच करार पाया जाए, उपलब्ध कराई जाएंगी ।

30. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों ।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम, संस्थान से परामर्श के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन पहली बार नियम बनाने के समय संस्थान से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं सुझावों पर विचार करेगी जो संस्थान इन नियमों के बनाए जाने के पश्चात् उनमें कोई संशोधन किए जाने के संबंध में दे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के खण्ड (च), (छ) और (झ) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 6 के अधीन सदस्यों के बीच हुई रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(घ) धारा 8 के अधीन सभापति या अन्य सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन के संबंध में नियंत्रण और निर्बन्धन ;

(च) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक की नियुक्ति ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन संस्थान द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और ऐसी नियुक्ति की रीति ;

(ज) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते ;

(झ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब धारा 17 के अधीन संस्थान द्वारा बजट तैयार किया जाएगा और उनकी प्रतियों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी

(ञ) वह प्ररूप जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान लेखे का वार्षिक विवरण तुलनपत्र सहित तैयार करेगा ;

(ट) वह प्ररूप जिसमें और वह तारीख जिसको धारा 19 के अधीन संस्थान के क्रियाकलापों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ;

(ठ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे धारा 29 के अधीन रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य जानकारी संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार को दी जानी है ;

(ड) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

32. विनियम बनाने की शक्ति—(1) संस्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बना सकेगा और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सभापति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ख) धारा 9 के अधीन संस्थान के पहले अधिवेशन को छोड़कर शेष अधिवेशनों का बुलाया जाना और आयोजित किया जाना, वह समय और स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जाएंगे, और ऐसे अधिवेशनों में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या ;

(ग) धारा 10 के अधीन शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन की रीति, शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के सदस्यों की पदावधि और उनमें होने वाली रिक्तियों को भरने की रीति ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन शासी-निकाय और अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (6) के अधीन शासी-निकाय के और स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों ;

(च) धारा 10 के अधीन शासी-निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों द्वारा अपने कार्य संचालन में शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ज) धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की, जिसमें संस्थान द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापक भी हैं, पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(झ) धारा 13 के अधीन संस्थान की सम्पत्ति का प्रबंध ;

(ञ) धारा 13 के खण्ड (छ) के अधीन संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियां, डिप्लोमे और विद्या संबंधी अन्य विशिष्ट उपाधियां ;

(ट) धारा 13 के खण्ड (ज) के अधीन आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और अन्य पद जो संस्थित किए जाएं और ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों और अन्य पदों पर नियुक्त किए जाएं ;

(ठ) धारा 13 के खण्ड (ट) के अधीन संस्थान द्वारा मांगी जा सकने वाली और उसे प्राप्त होने वाली फीस तथा अन्य प्रभार ;

(ड) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन पेंशन दी जाए या भविष्य निधि स्थापित की जाए ;

(ढ) धारा 28 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की पदावधि, उनके पारिश्रमिक और सेवा के निबन्धन और शर्तों से संबंधित विषय ;

(ण) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए विनियम में संस्थान उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तन या विखण्डन कर सकेगा ।

33. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

———